

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन)

राज्य में मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर मुर्गीजन्य मांस एवं अण्डा के उत्पादन के साथ साथ राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों की आय के साधन में अतिरिक्त वृद्धि हेतु राज्य सरकार की अनूठी योजना

समेकित मुर्गी विकास योजना

योजना के मुख्य घटक :-

- 25 लो इनपुट प्रजाति के 28 दिन के चूजों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चयनित लाभुकों के बीच अण्डा उत्पादन हेतु निःशुल्क वितरण।
- चूजों के रात्रि शरण स्थल हेतु पिंजड़े (Cage) के निर्माण के अनुमानित लागत रुपये 2000/- पर प्रत्येक लाभुकों को 50 % अर्थात् 1000/- रुपये का अनुदान।
- लो इनपुट प्रजाति के एक दिवसीय तीन हजार चूजों को प्रत्येक चरण में चार सप्ताह तक पालने हेतु मदर यूनिट के निर्माण पर 3.6 लाख के अनुमानित खर्च का 50% अर्थात् 180000/- रुपये का अनुदान।
- योजना के लाभुकों एवं मदर यूनिट के संस्थापकों का चयन संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त निदेशों के तहत किया जाएगा।
- योजना पर वर्ष 2014-15 के लिए अनुमानित व्यय 1703.40 लाख (सत्रह करोड़ तीन लाख चालीस हजार) रुपये मात्र।



कम पूँजी से ज्यादा आय, मुर्गी पालन भला उपाय!!

अधिक जानकारी हेतु निदेशक, पशुपालन अथवा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें।

प्रपत्र-1

वर्ष 2014-15 में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत 25 लो-इनपूट प्रजाति के 28 दिन के चूजों के वितरण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :		आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रेमाणित फोटोग्राफ
2. पिता/पति का नाम :		
3. जन्म तिथि :		
4. उम्र :		
4. शैक्षणिक योग्यता :		
5. पेशा :		
6. कोटि : (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	 (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)	
7. स्थायी पता :-		
ग्राम :	 पोस्ट :	
थाना :	 प्रखंड :	
जिला :	 पिन कोड :	
8. दूरभाष/मोबाईल न0:-		
9. कुक्कुट पालन में प्राप्त प्रशिक्षण अथवा पूर्व अनुभव का विवरण :		

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचनाएँ सही हैं तथा योजना के लिए निर्धारित शर्तों का मेरेद्वारा अनुपालन किया जाएगा।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन का प्राप्ति रसीद

प्राप्ति रसीद संख्या :-

दिनांक-/2014

आवेदक श्री पिता/पति का नाम :-

ग्राम : पोस्ट : थाना :

प्रखंड : जिला : पिन कोड : द्वारा

"समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत निःशुल्क चूजों के वितरण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सभी वांछित अनुलग्नकों सहित प्राप्त किया।